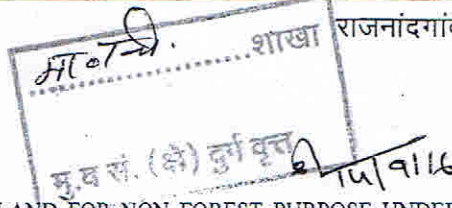


कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744-225059 (का), 226389 (नि.), ई-मेल dfo_rajnandgaon@yahoo.com

ज्ञापन क्र./मा.चि./5-4/10545
प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग



राजनांदगांव, दिनांक 14/9/2016

विषय :-

DIVERSION OF FOREST LAND FOR NON FOREST PURPOSE UNDER FOREST CONSERVATION ACT, 1980 FOR PROPOSED LAND FOR 132 K.V. SUB STATION AT VILLAGE AKATKANHAR (MOHALA) AREA -4.046 HA.- REGARDING.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHERS/19794/2016

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध विद्युत/479-146 /1878 दिनांक 03.08.2016

— ***** —

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षक अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार तैयार कर नोडल अधिकारी F.C. Act. कार्यालय के परीक्षण उपरांत आपके समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव अंतर्गत निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जा रही है :-

01. आवेदनकर्ता कार्यपालन यंत्री (सिविल) छ.ग. पारेषण कंपनी मर्यादित भिलाई-3 द्वारा राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत पानाबरस परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम एकटकन्हार, तहसील मोहला, जिला राजनांदगांव के राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में 132 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापना किये जाने हेतु रकबा 4.046 हे. की मांग हेतु की गई है।
02. आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रुपये 24000/- जमा कराये गये हैं।
03. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 तक है एवं इसमें सागौन मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं।
04. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
 - (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य 132 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापना हेतु मांग की जा रही है, राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
 - (IV) वर्तमान व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) की मांग न्यूनतम है।
05. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
06. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
07. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 नियम 03 B का उल्लंघन किया/नहीं किया है।

08. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृति, झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
09. आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में संरक्षित वन क्षेत्र है। वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 4.046 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) में घनत्व 0.1 से 0.2 तक होने के कारण 6.26 लाख प्रति हे. की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।
11. Land Reclamation/Catchment area Treatment/fire protection/Safety Zone/Resettlement plan अन्य मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन कर्ता का वचन पत्र संलग्न है।
12. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं होती है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

पृ.क्र./मा.चि./5-4/10546
प्रतिलिपि :-

आवेदन कर्ता कार्यपालन यंत्री (सिविल) छ.ग. पारेषण कंपनी मर्यादित भिलाई-3, Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव
राजनांदगांव, दिनांक 14/9/2016

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव